


सं.14012/31/2011-अ.भा.से.-III

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2014

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के सदस्य श्री शरद कुमार द्विवेदी को दिनांक 29.08.2008 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

सं.14012/31/2011-अ.भा.से.-III

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2014.

1. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से यह अनुरोध है कि वह इस अधिसूचना की एक प्रति संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दें।
2. पश्चिम बंगाल के महालेखाकार (ए एंड ई)।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, अधिकारी को वर्ष 2005 में हुई सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर अधिकारी आईएस नियुक्त किया गया।
4. स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी, (उत्तराखण्ड)।
6. डेस्क अधिकारी (वेतन), अ.भा.से.-II अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. ईओ (सीएम), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।